**INDIA NON JUDICIAL**

# Government of Uttar Pradesh

**e-Stamp**

Serial No. 173
ACC Name: AVINASH KUMAR PATHAK
ACC Code: UP14176104
ACC Add.: Collectorate Compound, Mirzapur
License: 44, District Mirzapur
Mob. No.: 9450315123
Signature ..........

| | | |
|---|---|---|
| Certificate No. | : | IN-UP13546880153052V |
| Certificate Issued Date | : | 20-May-2023 04:31 PM |
| Account Reference | : | NEWIMPACC (SV)/ up14176104/ MIRZAPUR SADAR/ UP-MRZ |
| Unique Doc. Reference | : | SUBIN-UPUP14176104216278O8136006V |
| Purchased by | : | M.V.M CHARITABLE TRUST TRUSTI KIRTI MUNDRA |
| Description of Document | : | Article 64 (A) Trust - Declaration of |
| Property Description | : | MAKAN NO.25 MOHALLA BUNDELKHANDI DAKSHIN FATAK SADAR MIRZAPUR. |
| Consideration Price (Rs.) | : | |
| First Party | : | M.V.M CHARITABLE TRUST TRUSTI KIRTI MUNDRA |
| Second Party | : | M.V.M CHARITABLE TRUST TRUSTI KIRTI MUNDRA |
| Stamp Duty Paid By | : | M.V.M CHARITABLE TRUST TRUSTI KIRTI MUNDRA |
| Stamp Duty Amount(Rs.) | : | 1,000 (One Thousand only) |

Locked

Verified

Please write or type below this line

Kmundra    विकास मिश्रा    Mishra    Monika

JD 0000281476

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर मिर्जापुर क्रम संख्या 2023260010656

आवेदन संख्या : 202301000007720

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2023-05-22 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम कीर्ति मुंदड़ा

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 5000 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 100

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 80

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख़्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2023-05-22 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश

प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2023-05-22 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
सदर मीरजापुर

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

कार्यालय उप रजिस्ट्रार मीरजापुर
उत्तर प्रदेश

न्यास विलेख

ट्रस्ट फंड– मु0 5,000/–रू0

स्टाम्प मु0– 1000/–रू0

## एम0 वी0 एम0 चैरिटेबल ट्रस्ट, मीरजापुर, उ0प्र0

सदस्य–

| क्र0 सं0 | नाम | पता | पद |
|---|---|---|---|
| 1 | कीर्ति मुंदड़ा पत्नी राजीव मुंदड़ा | मकान नं0 25 बुन्देलखण्डी दक्षिण फाटक मीरजापुर<br>मो0 नं0– 9598502732<br>आधार नं0–XXXX XXXX 5731<br>Pan No- ASLPM3281G | अध्यक्ष/संस्थापक/ट्रस्टी |
| 2 | विकास मिश्रा पुत्र मथुरा नाथ मिश्रा | सी0 के0 14/43 नन्दनसाहूलेन चौक वाराणसी<br>मो0 न0– 9305860657<br>आधार नं0–XXXX XXXX 6690<br>Pan No.- FXCPM9653R | उपाध्यक्ष |
| 3 | सुनीति मिश्रा पुत्री मथुरा नाथ मिश्रा | सी0 के0 14/43 नन्दनसाहूलेन चौक वाराणसी<br>मो0 न0– | कोषाध्यक्ष |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 9839604205 आधार नं0–XXXX XXXX 1599 Pan No.- AROPM6460B | |
| 4 | मोनिका श्रीवास्तव पुत्री संतोश कुमार श्रीवास्तव | पुतलीघर कृष्णनगर नटवां जिला मीरजापुर मो0 नं0– 6393495936 आधार नं0–XXXX XXXX 5352 Pan No.- NPLPS0357P | सचिव |

यह ट्रस्ट आज दिनांक 18.05.2023 ई0 को अध्यक्ष कीर्ति मुंदड़ा द्वारा निष्पादित किया जाता है कि हम उपरोक्त नामित व्यक्ति शैक्षणिक पूर्णार्याथ व समाजिक कार्यो के लिए अपनी स्वेच्छा से एक ट्रस्ट स्थापित करते है जिसमे

एम0 वी0 एम0 चैरिटेबल ट्रस्ट, मीरजापुर, उ0प्र0 इस ट्रस्ट की स्वीकृति प्रदान करते है और उक्त राशि तथा अन्य सभी राशियों व सम्पत्तियों जो समय–समय पर निम्न उद्देश्यों के लिए ट्रस्ट को प्राप्त होगी।

ट्रस्ट की मालियत/सम्पत्ति होगी और ट्रस्ट की सम्पत्ति में ट्रस्टी का पद तथा ट्रस्ट के प्रशासनिक कार्यो के अतिरिक्त अन्य कोई रिश्ता नही होगा। ट्रस्ट के कार्य तथा उद्देश्य निम्नलिखित अनुसार होगें।

और क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत/प्रशासनिक कार्यालय मोहल्ला मकान नं0 25 बुन्देलखण्डी दक्षिण फाटक मीरजापुर उ0 प्र0 रहेगा। अधिक सुविधाजनक स्थान मिलने व मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की सहमति से इस कार्यालय को समयानुसार स्थानांतरित किया जा सकेगा और क्योंकि न्यासकर्ता/ ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध एवं घोषित किया जाता है।

एम0 वी0 एम0 चैरिटेबल ट्रस्ट, मीरजापुर

उद्देश्य एवं नियमावली

(ए) ट्रस्ट के उद्देश्य :–

ट्रस्ट निम्न उद्देश्य की पूर्ति के लिए कार्य करेगा –

1– प्रत्येक आम जनमानस को एम0 वी0 एम0 चैरिटेबल ट्रस्ट का सदस्य बनाना।

2– सदस्यता शुल्क 10 प्रति व्यक्ति होगी। तथा मंदिर निर्माण, मंदिर देख–रेख, साफ–सफाई, मेला, भण्डारा व भण्डारे का प्रसाद वितरण करने व आयोजन कराने के लिये आदि के लिये जमीन सरकार से माँग करना।

3– प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राम कथा का आयोजन कराना तथा श्री राम भण्डारे का प्रसाद वितरण कराना।

4– प्रत्येक व्यक्ति को राम नाद का दान दिया जायेगा जिससे कि राम नाम दान मिलने के बाद वह व्यक्ति को मांस व मदिरा का सेवन नही करेगा।

5– ट्रस्ट की सभी सम्पत्तियॉ ट्रस्ट के नाम रहेगी और उसकी कोई भी सम्पत्ति किसी सदस्य के व्यक्तिगत नाम नहीं होगी।

6– ट्रस्ट निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति संरचना तथा बढ़ोत्तरी के लिए राशि तथा सम्पत्तियॉ प्राप्त करेगा तथा रखेगा।

क– भारत में किसी भी स्थान पर धर्मशाला, मंदिर गौशाला, वृद्वाश्रम, बालगृह आदि का निर्माण करना तथा बिना धर्म, जाति, रंग व लिंग भेद के सभी व्यक्तियों के हितो में चलाना।

ख– शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए कोई संस्थान विद्यालय/महाविद्यालय व पुस्तकालय चलाना व विश्वविद्यालय स्थापित करना।

ग– वृद्व, गरीब, असहाय बच्चों, महिलाओं व विकलांगो के उत्थान के लिए कार्य करना।

घ– रोगो की रोकथाम के लिए साहित्य छपवाना तथा चिकित्सा व दवाईयों की व्यवस्था करना कैम्प लगाना सम्भव हो तो चिकित्सालय स्थापित करना।

ङ– समान उद्देश्य वाले संस्थान को दान देना।

च– जाति, धर्म, रंग व लिंग भेद के बिना गरीब विद्यार्थियों की गुजारे के लिए या चिकित्सा के लिए एक बार या समयबद्व सहायता प्रदान करना।

छ– भारत की प्राचीन संस्कृति व महत्वपूर्ण विषयों के सम्बन्ध में कोई निर्माण करवाना तथा प्रचार करना।

ज– जन सामान्य के पानी पीने के लिए प्याऊ का निर्माण एवं व्यवस्था करना

झ– समाज व मानवता उपयोगी/हितार्थ कोई भी अन्य कार्य करना।

5– गरीब असहाय बच्चों/जो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हो उन्हे जागरूक करके उनका नाम किसी अन्य संस्था में लिखा करके उन्हे आगे की शिक्षा देना।

6– ट्रस्टी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार अर्द्वसरकारी संस्थानो, बोर्ड, स्थानीय स्वशासन या निजी संस्थानो एवं अन्य व्यक्तियों से उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दान, अनुदान या अन्य रूप में ट्रस्ट के नाम राशि व चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त कर सकेंगे।

7– ट्रस्टी, ट्रस्ट की राशि को सिक्योरिटीज बैंक या अन्य संस्थानों में आयकर अधिनियिम तथा दूसरे अधिनियमों के अधीन समय–समय पर मान्य प्रावधानो के अनुसार जमा करवा सकते है।

8– ट्रस्ट की स्थायी सम्पत्ति को बिक्री, रेहन या अन्य प्रकार से समाप्त नही किया जा सकेगा परन्तु ट्रस्ट की सम्पत्ति आवश्यकता से अधिक होने पर अथवा खराब होने या प्रयोग के योग्य न होने पर बेची अथवा समाप्त की जा सकती है।

9– ट्रस्ट के लिए बिजली पानी, टेलीफोन, गैस आदि कनेक्शन लिए जा सकते है।

10– ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति के लिए ट्रस्टी को कार्यालयों से अनुबंध करने का अधिकार होगा। वे किसी व्यवसायिक व्यक्ति लिपिक नौकर आदि को मान्य शर्तो अनुसार सेवा कार्य से रख सकेगे तथा उनकी सेवा समाप्त करने का अधिकार होगा और इस विषय में सभी आवश्यक कार्यवाही करेगें।

11– ट्रस्ट के प्रबन्धन व प्रशासन के लिए ट्रस्टी समय पर नियम बना सकेगें और ट्रस्ट के सम्बन्ध में किसी कार्य के लिए एक या अधिक ट्रस्टीयों की उपसमिति बनाकर उसे कार्य विशेष के लिए अधिकृत किया जा सकेगा।

12– ट्रस्टीयों या अन्य किसी व्यक्ति व संस्थान द्वारा दी गई राशि व सम्पत्ति ट्रस्ट की सम्पत्ति होगी और केवल ट्रस्ट के उद्देश्य पूर्ति के लिए काम में लायी जाएगी।

13– भारत में किसी भी स्थान पर कोचिंग संस्थान खोलकर बिना, धर्म जाति रंग भेद के सभी विद्यार्थियों के हित में चलाना।

14– सामाजिक आर्थिक तथा शारीरिक इत्यादि रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा सामाजिक बढ़ावा व उनके उत्थान, इत्यादि के लिये कार्य करेगी।गरीब कन्याओ तथा शादी विवाह में अक्षम लोगो के शादी विवाह इत्यदि को पूर्ण करने का कार्य करेगी।

15– कमजोर आर्थिक लोगों के शिक्षा व्यवस्था रहन सहन, लालन पालन इत्यादि की भी व्यवस्था संस्थान करेगी।

16– संस्थान वृद्धा आश्रम विधवा आश्रम तथा अनाथों हेतु रहने पीने खाने शिक्षा तथा उन्हें हर तरह की सुविधा एवं् उत्थान हेतु संस्थान काम करेगी।

17– अम्ल /एसिड अटैक इत्यादि से पीड़ित महिलाओं के इलाज कानूनी सहायता तथा क्षतिपूर्ति इत्यादि का काम करेगी।

18– सड़क सुरक्षा के प्रति लोगो को जागरूक करना व क्षतिपूर्ति दिलाने के लिये विधिक सहायता।

19– देश में व्याप्त अशिक्षा कुसंस्कार , राग द्वेष , वैमनस्यता, दरिद्रता, हीनता कुपोषण रोग, व्याधि , मानसिक दौर्वल्य अनैतिकता , जटिलता, कुटिलता को दूर करना तथा शिक्षा ,कम्प्यूटर शिक्षा, ब्यूटिशियन, सिलाई, कढ़ाई, दरी, कालीन, आदि की शिक्षा देना बेरोजगार युवक युवतियों को रोजगारलायक शिक्षा देकर आत्मनिर्भर बनाना, आचार, पापड़, जैम, जैली आदि अल्प महिलाओं को लघु व कुटिर उद्योग के माध्यम से रोजगार देना

Khudra

मिका समिक्षा

S Mishra

संस्कार सद्भावना सहयोग, समृद्वि, स्वस्थ सरलता विश्व बन्धुत्व के विकास के लिये कार्य करना।

20– मानसिक शान्ति एवं सामाजिक सद्भाव के लिये आध्यात्मिक कार्य कार्यक्रमों जैसे श्री रामचरित मानस कथा, श्रीमद्भगवत कथा, वेद, पुराण गौ विज्ञान, महापुरूषों की जीवनी इत्यादि का आयोजन करना तथा संचालन करना।

21– अशिक्षा एवं कुसंस्कारों को दूर करने के लिये वैदिक एवं आधुनिक विद्यालयो, महाविद्यालयों एवं शोध संस्थानो की स्थापना एवं संचालन करना।

22– गोंशाला , धर्मशाला अस्पताल, पुस्तकालय विद्यालय संग्रहालय अनाथालाय विधवाश्रम, वृद्धाश्रम की स्थापना एवं संचालन करना

23– योग पंचगव्य , प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, गोमहात्मय पर्यावरण संरक्षण का प्रचार प्रसार करना गरीब कन्याओं का विवाह करना। पर्यावरण सुरक्षा के लिये वृक्षारोपण करना।

24– शिक्षा एवं शिक्षा पद्यतियों का विकास कर सकना तथा विभिन्न विषयों पर अनुसंधान कर सकना।

25– सांस्कृतिक कार्यक्रम, पर्यावरण कार्यक्रम, एड्स कार्यक्रम अधिवेशन गोष्ठियों सम्मेलन प्रतियोगिताओं, बैठक, विशेष कक्षाएं, सत्र प्रोत्साहन कार्यक्रम आदि आयोजित कर सकना। ग्राम विकास नरेगा, डूडा , समाज कल्याण, सलाहकार समाजिक न्याय एवं अधिकार।

26– समाज कल्याण विभाग नाबार्ड, कपार्ट, परिवार कल्याण विभाग, पर्यावरण, मानव संसाधन मंत्रालय, एड्स पर कार्य करना। डुडा नेहरू युवा केन्द्र

27– सिलाई, कढ़ाई, स्क्रीन प्रिटिंग, आदि की शिक्षा कर सकना। महिला कल्याण अधिकार

28– सामाजिक न्यास के विकास हेतु एवं राष्ट्रीय अखण्डता के अक्षुण रखने हेतु विद्यालय , महाविद्यालय, मेडिकल कालेज, विधि महाविद्यालय इंजीनियरिंग कालेज पालिटेक्निक, सी0टी0आई0 आई0टी0आई0 पुस्तकालय, फार्मेसी, फीजियोथीरेपी आदि संस्थानों की स्थापना कर सकना तथा इनकी शाखाओं की स्थापना चिकित्सा केन्द्र अस्पताल प्लेस की स्थापना , संचालन, विकास, आबद्ध, लैब टेक्निशियन सम्बद्ध प्रबन्ध आदि कर सकना।

अन्यः–

1. व्यक्ति विशेष अन्य सोसाइटी ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों मेडिकल, कालेजों इंजीनियरिंग कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित कर सकना एवं ट्रस्ट में ऐसे संस्थानों को प्राप्त करना, समायोजित कर सकना।
2. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों संस्थानों, व्यक्तियों से सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
3. विधि सम्मत उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
4. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार कर सकना।
5. कृषि उपयोग के कार्य कर सकना व उसका प्रचार प्रसार कर सकना।
6. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास कर सकना एवं पर्यावरण सुधार हेतु जानकारी दे सकना एवं सेमिनार कर सकना।
7. एड्स के बारे में जनजागरण करने हेतु प्रचार–प्रसार कर सकना।
8. पुस्तक, पुस्तिकाऐं, पत्र–पत्रिकाऐं समाचार पत्र आदि को प्रकाशित मुद्रित सम्पादित वितरित विक्रय कर सकना।
9. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिए समुचित शुल्क/मूल्य/निर्धारित करना तथा प्राप्त करना।
10. पत्राचार द्वारा अध्यापन/अध्ययन का प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्सम्बन्धित आवश्यक व्यवस्थाऐं कर करना।
11. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार, ऊसर सुधार जैसे सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य करना।

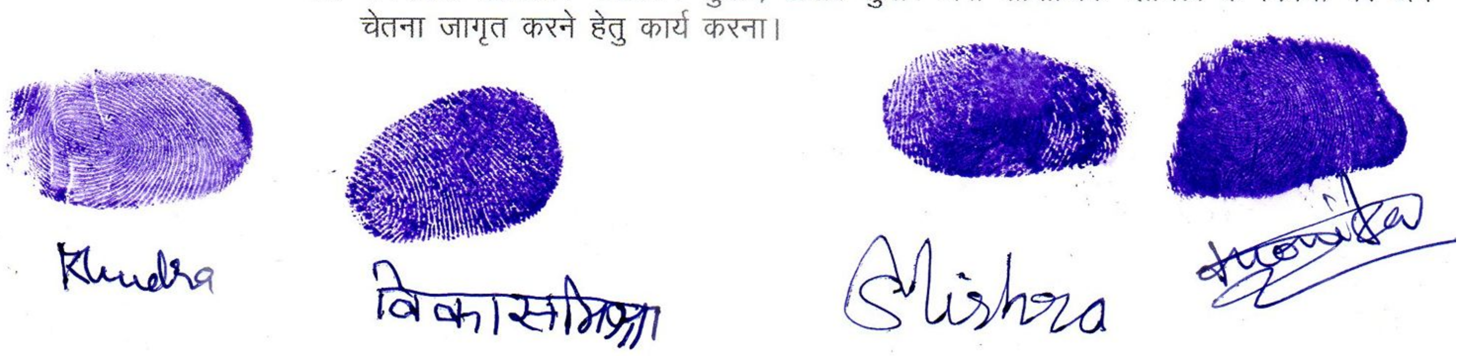

12. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जीणोद्धार कर सकना।
13. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर सकना तथा क्रियान्वयन कर सकना।
14. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिह्न आदि प्रदान कर करना।
15. विभिन्न संस्थानों/ विद्यालयों/महाविद्यालयों/मेडिकल कालेज विधि महाविद्यालयों/इंजीनियरिंग कालेजों/प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अपने विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना। कोई समिति स्वयं या अपने द्वारा संचालित किसी भी तरह के संस्थान को न्यास में समाहित करने की इच्छुक हो तो उस समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृत होने पर, न्यासियों एवं न्यास मण्डल/बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से ही संस्था/समिति को न्यास में समाहित किया जा सकेगा और वह समिति/संस्था न्याय की संस्था (सम्पत्ति) मानी जायेगी।
16. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्य में प्रयोग करना।
17. ट्रस्ट जन् सामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा संभव अपनी सेवाऐं/वस्तुऐं/लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड़न्जा, तालाबों का निर्माण, मछली पालन, पशुपालन आदि का प्रचार कर सकना।
18. ट्रस्ट केवल वित्तीय लाभ के लिए ही कार्य नहीं करेगा जन कल्याण की भावना एवं ट्रस्ट के उद्देश्यों को सदैव अपने समक्ष रखेगा एवं बंजर भूमि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नेहरू युवा सुधार हेतु रोजगार केन्द्र प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना।
19. ट्रस्ट अपनी समस्त आय एवं लाभ कालांतर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ही व्यय करेगा।
20. ट्रस्ट द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण सेवाओं का संचालन करना।
21. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु कार्य करना। गरीब असहायों एवं जरूरतमंदों को निःशुल्क शिक्षा देना पिछड़े वर्गो, अनु0 जातियों एवं जनजातियों को अच्छी शिक्षाओं तथा भारत के किसी सभी हिस्से में संघ शासित राज्यों में भी (शैक्षिक संस्थाओं, कृषि विज्ञान, कम्युनिटी, विकास केन्द्रों, अनुसंधान संस्थाऐं, महिला कल्याण योजनाये राष्ट्रीय अखण्डता कार्यक्रम, स्वास्थ्य केन्द्र या कोई भी कार्य किसी स्थान पर बनाने, प्राप्त करने, शुरू करने और बरकरार रखने के लिए कार्य करना।
22. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
23. कृषकों को फूल एवं औषधीय खेती के विषय में जानकारी देना एवं उत्पादन किये गये माल का आयात व निर्यात करना।
24. कृषकों के उत्थान एवं विकास हेतु पालिक्लीनिक का निर्माण करना।

(बी) प्रारम्भिक उपबन्ध :–

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत की दिनांक से कीर्ति मुंदड़ा को न्यासकर्ता एवं जो इस न्यास विलेख के रचयिता भी है को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष सुनिश्चित किया जाता है।
2. उक्त नियमों में कोई भी परिवर्तन , परिमार्जन, परिवर्तन किसी भी परिस्थिति में कभी भी नहीं किया जा सकता है।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को अंतरित कर सकते है।
4. यदि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्ट की मृत्यु के समय उत्तराधिकारी अवस्यक है तो उनकी ओर से उनको भाई व बहन सुनीती व जागृति और उनकी सन्ताने भविष्य में परिवार से संबंधी ही अध्यक्ष होगा मैनेजिंग

ट्रस्टी/अध्यक्ष, ट्रस्टी का कार्य तब तक संभालेगी, जब तक कि उनके उत्तराधिकारी कानूनी रूप से बालिग न हो जाय।

(सी) मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद उत्तराधिकारी/हस्तान्तरण :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।

2. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष का पद संबंधी में से किसी को प्रदान कर सकता है।

3. किसी भी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष करते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेगें जो कि इस ट्रस्ट डीड के मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये है।

4. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का भी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकारी अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।

5. मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष को चाहिए कि वह अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी / अध्यक्ष लिखित रूप से अपने हस्ताक्षर करके व्यक्त कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अंतिम रूप से मान्य होगी।

6. यहां पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को वास्तविक रूप से हस्तान्तरित कर सकता है जिस पर पुर्नविचार का अधिकार मैनेजिंग ट्रस्टी /अध्यक्ष में सुरक्षित रहेगा।

7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को किया गया कार्यभार हस्तांतरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण हस्तान्तरण माना जायेगा।

(डी) बोर्ड आफ ट्रस्टीज :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विभिन्न विषयों पर विचार–विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें कि अधिकतम ग्यारह सदस्य होगें।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को बोर्ड आफ ट्रस्टीज मनोनीत करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। बोर्ड आफ ट्रस्टीज की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है, तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताए बोर्ड आफ ट्रस्टीज के पद से हटा सकता है। बोर्ड आफ ट्रस्टीज, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अनुग्रह तक/प्रस्ताव पर्यन्त ही कार्य करेंगे।

3. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक आयोजित कर सकता है जिसकी अध्यक्षता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं करेगा।

4. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज उन्हीं विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

5. यह कि बोर्ड आफ ट्रस्टीज द्वारा दिये गये किसी भी सुझाव को मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य अन्तिम होगा।

6. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार – मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत

विकासमिश्रा

Mishra

संशोति कर दें। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अतिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।

(ई) अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी का कार्यालय एवं सुविधाऐ :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा विभिन्न आवश्यकताओं से युक्त निवास कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा।

2. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि प्राप्त कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम रूप से मान्य होगा। मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अपनी प्राप्त आय से ही आयकर का भुगतान करेगा ट्रस्ट इसके लिए उत्तरादायी नहीं होगा।

(एफ) कार्यक्षेत्र :– ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र भारत सहित सम्पूर्ण विश्व होगा वह सामाजिक, उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व व्यक्ति विशेष से सहायता एवं राय प्राप्त कर सकता है। अथवा सहायता व राय दे सकता है।

(जी) सचिव/उपसचिव की नियुक्ति :–

1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यो को एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि सचिव/उप सचिवों के वेतन, भत्ते सुविधाऐं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यह कि उक्त सचिव/उप सचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है तथा उक्त पक्षों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्तिको हस्तांतरित/प्रदान कर सकता है।

(एच) उपाध्यक्ष की नियुक्ति :–

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन–प्रतिदिन के कार्यो को करने व देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पड़ने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

2. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, सुविधाऐं कार्य नियम मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।

3. यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों, मैनेजिंग ट्रस्टी के अनुग्रह तक/ प्रसार पर्यन्त कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदो पर कार्यरत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रशासनिक/विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, अथवा उक्त कार्यरत व्यक्तियों को उनके पदों से हटा सकता है तथा इन पदों पर नियुक्तियां कर सकता है अथवा उक्त पदों के कर्तव्य एवं अधिकार किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित व प्रदान कर सकता है।

(आई) मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

यह कि इस डीड के अन्तर्गत अध्यक्ष/ट्रस्टी को प्राप्त विभिन्न अधिकार एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त अध्यक्ष/ट्रस्टी के निम्न अधिकार एवं कर्तव्य भी होगें :–

1. बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

2. ट्रस्ट के समस्त कार्यो का उत्तरदायित्व ढंग से देखरेख करने के लिए ट्रस्ट के उपाध्यक्ष सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।

**आवेदन सं०: 202301000007720**

**न्यास पत्र**

**बही स०: 4** | **रजिस्ट्रेशन स०: 93** | **वर्ष: 2023**

प्रतिफल- 5000 स्टाम्प शुल्क- 1000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 100 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 180

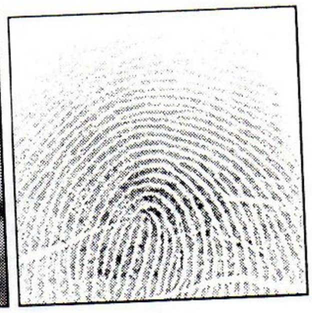

श्रीमती कीर्ति मुंदड़ा ,
पत्नी श्री राजीव मुंदड़ा
व्यवसाय : गृहिणी
निवासी: बुन्देलखण्डी दक्षिण फाटक मीरजापुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 22/05/2023 एवं 11:44:22 AM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिषेक कुमार सिंह
उप निबंधक :सदर
मिर्जापुर
22/05/2023

श्री निवास .
निबंधक लिपिक
22/05/2023

प्रिंट करें

उप रजिस्ट्रार मीरजापुर
उत्तर प्रदेश

3. इस डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोान/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहां पंजीकृत/रजिस्ट्रीकृत होने के दिनांक से मान्य होगा।

(जे) उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. अध्यक्ष/ ट्रस्टी की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार/विमर्श हेतु बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एव अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

(के) सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

ट्रस्ट के समस्त कार्यो के लिए ट्रस्ट का सचिव अंतिम रूप से कार्यवाही कराने हेतु उत्तरदायी है। ट्रस्टी के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार है :–

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यो हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक, प्रशासनिक कार्यवाही कर सकना।
4. विभिन्न कार्य–कलापों उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु कोष्ठों/विभागों/केन्द्रों/संस्थाओं का गठन करना तथा संयोजकों/निदेशकों पदाधिकारियों आदि का संचालन हेतु आवश्यकतानुसार नियम/उपनियम बनाना।
5. ट्रस्ट संस्था से प्राप्त किसी शिकायत की जांच हेतु निर्णायक नियुक्त कर सकता है।
6. एक से अधिक विशेष अधिकारी नियुक्ति होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन कर सकना।
8. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/व्रिक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।

(एल) उप सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. सचिव की अनुपस्थिति मे उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।
2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारों/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।
3. सचिव द्वारा लिखित रूप से दिये गये कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

(एम) बैंक एकाउण्ट :–

1. ट्रस्ट का खाता किसी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है। सामान्यता खाता मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा संचालित होगा अथवा उनके निर्देश पर खाते का संचालन दो लोग भी (ट्रस्टियों में से) संयुक्त रूप से कर सकते है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचलित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय /महाविद्यालय /संस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैक खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में स्वयं ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा विद्यालय, महाविद्यालय/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई के अध्यक्ष के रूप में बैंक खाता खोला व संचालित किया जायेगा अथवा अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा अध्यक्ष के निर्देशानुसार बैंक खाता खोलकर संचालित किया जा सकेगा जिसमें परिवर्तन का एकाधिकार अध्यक्ष में निहित होगा।

(एन) विधिक कार्यवाही :– ट्रस्ट का विवाद न्यायालय में नहीं किया जायेगा। भविष्य में यदि संस्था/ ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरूद्ध कोई विधिक कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी स्वयं या अन्य को अधिकृत कर सकता है। न्यास सम्पत्ति व न्यास के संचालन व प्रबन्धक के बावत न्यासियों के किसी विवाद के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति को किसी न्यायालय में बाद किसी भी परिस्थिति मतें प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं होगा यदि कोई विवाद न्यास व उसके संचालन प्रबन्धक के बावत उत्पन्न होता है तो पंचायत द्वारा निर्णित किया जायेगा। पंचों की नियुक्ति अथवा नामकरण न्यासियों व अध्यक्ष ( ट्रस्टी एवं मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष) द्वारा किया जायेगा। यदि भविष्य में किसी सहायक न्यासी या सदस्य द्वारा किसी विवाद को न्यायालय में दाखिल किया जाता है तो उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

(ओ) सम्पत्ति सम्बन्धी :–

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षत:भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।

टिप्पणी :

अभिषेक कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
मिर्जापुर
22/05/2023

श्री निवास .
निबंधक लिपिक मिर्जापुर
22/05/2023

प्रिंट करें

कार्यालय उप रजिस्ट्रार मीरजापुर
उत्तर प्रदेश

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होते है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में ट्रस्ट की ओर से कोई निर्णय लेने/लेख, विलेख बनाने हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट के अध्यक्ष ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी लेख/विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति क्रय–विक्रय कर सकता है, रेहन रख सकता है, अथवा किराये पर दे सकता है ले सकता है।
5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट धन को कभी भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है किसी बैंक, संस्था कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति को विनियोजित कर सकता है।
7. चल/अचल सम्पत्ति का प्रत्याभूमि,भाड़ा क्रय, अनुज्ञप्ति, बंधक, भारित गिरवी, विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।

(पी) विशेष :–

(क) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम इत्यादि बनाये जा सकते है, परन्तु यदि वह इस डीड आफ ट्रस्ट " एम0 वी0 एम0 चैरिटेबल ट्रस्ट, मीरजापुर " के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते है तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे तथा मैनेजिंग ट्रस्टी द्वारा बनायी गयी समिति, उपसमिति को स्वेच्छानुसार भंग करके उनका अधिकार अपने में निहित किया जा सकेगा तथा विवेकानुसार समिति, उप समिति का गठन किया जा सकेगा।

(ख) अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी/किन्ही परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी/किन्हीं प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकते है तथा प्राविधान/प्राविधानों के होते हुए भी अन्यथा निर्णय ले सकते है इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का विवेक/व्यवस्था ही अंतिम होगी। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी कार्यवाही को कभी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

(ग) इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचलित/व्यक्तिगत किसी भी विद्यालय व महाविद्यालय मेडिकल कालेज/विधि महाविद्यालय/इंजीनियरिंग कालेज /पालिटेक्निक /आई0टी0आई0 /सी0टी0आई/ पुस्तकालय/ फार्मेसी/ फिजियोथोरेपी आदि संस्थानों कार्यक्रमों/ इकाइ/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन के लिए पृथक से नियम, उपनियम बनाया जायेगा तथा तत्सम्बन्धी विश्वविद्यालय बोर्ड, सरकारी/अर्द्ध सरकारी व मान्यता प्राप्त करने वाली संस्था/विभाग इत्यादि की आवश्यकतानुसार प्रबन्ध समिति का गठन किया जायेगा। जिसमें ट्रस्ट द्वारा नामित व्यक्ति ही सदस्य व पदाधिकारी होगे। नामित व्यक्ति बोर्ड आफ ट्रस्टी अथवा बाहर के सदस्य भी हो सकते है। समिति/उपसमिति के खातों का संचालन इस ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी करेंगे। इस निमित उन्हें विश्वविद्याय/बोर्ड/विभाग के नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति /उप समिति का अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक समझा जायेगा। इस प्रकार मैनेजिंग ट्रस्टी समति/उप समिति का सदस्य (अध्यक्ष अथवा प्रबन्धक) आजीवन पदेन होगा और समिति/उपसमिति के खातों का संचालन इस ट्रस्टके अध्यक्ष द्वारा नियमानुसार/आवश्यकतानुसार समिति/उपसमिति का अध्यक्ष अथवा प्रबंधक बनकर किया जायेगा और आर्थिक प्रकरणों पर सहमति/अनुमति एवंअनुमोदन ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा।

(घ) समिति के दो निदेशक और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जा सकते है जो संस्था के प्रशासनिक एवं शैक्षणिक वातावरण को बनाने में सहयोग करेंगे।

एम0 वी0 एम0 चैरिटेबल ट्रस्ट, मीरजापुर ट्रस्ट की उक्त न्यास विलेख विलेख एवं उसमें सन्निहित एम0 वी0 एम0 चैरिटेबल ट्रस्ट, मीरजापुर, उ0प्र0 के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्द्वारा अधिनियमित अनुमोदित घोषित स्वीकृति आत्मार्पित एवं तत्काल कार्यान्वित की जाती है।

Rhudra विकास मिश्रा S Mishra

आवेदन सं०: 202301000007720

बही स०: 4 रजिस्ट्रेशन स०: 93 वर्ष: 2023

**निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त**

**न्यासी: 1**

श्रीमती कीर्ति मुंदड़ा, पत्नी श्री राजीव मुंदड़ा

निवासी: बुन्देलखण्डी दक्षिण फाटक मीरजापुर

व्यवसाय: गृहिणी

**न्यासी: 2**

श्री विकास मिश्रा, पुत्र श्री मथुरा नाथ मिश्रा

निवासी: नन्दसाहूलेन चौक वाराणसी

व्यवसाय: अन्य

**न्यासी: 3**

सुश्री सुनीति मिश्रा, पुत्री श्री मथुरा नाथ मिश्रा

निवासी: नन्दसाहूलेन चौक वाराणसी

व्यवसाय: अन्य

**न्यासी: 4**

श्रीमती मोनिका श्रीवास्तव, पत्नी श्री संतोश कुमार श्रीवास्तव

निवासी: पुतलीघर मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

**ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान**

**पहचानकर्ता : 1**

सुश्री नेहा अग्रहरी, पुत्री श्री अजय कुमार अग्रहरी

निवासी: खनवा नाला गैवीघाट तहसील सदर जिला मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

**पहचानकर्ता : 2**

सुश्री शिवांगी मोदनवाल, पुत्री श्री शिव गोपाल मोदनवाल

निवासी: पंसारी टोला पैरिया टोला रोड तहसील सदर जिला मीरजापुर

व्यवसाय: अन्य

मसविदा किया : गिरीश चन्द्र तिवारी एडवोकेंट ।कलेक्ट्रेट कचहरी मीरजापुर
मो0 न0– 9936975152
टाईप किया– अनूप जायसवाल मो0 नं0–8542821837
तारीख : 22.05.2023
ह0प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष

गवाह 1– नेहा अग्रहरी पुत्री अयज कुमार अग्रहरी
निवासी खनवा नाला गैवीघाट
तहसील सदर जिला मीरजापुर
मो0 न0– 7398754006 आधार नं0– XXXX XXXXX 0482

गवाह 2– शिवांगी मोदनवाल पुत्री शिव गोपाल मोदनवाल
निवासी पंसारी टोला, पैरिया टोला रोड
तहसील सदर जिला मीरजापुर
मो0 न0– 9580136166 आधार नं0– XXXX XXXXX 0849

**आवेदन सं०: 202301000007720**

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 137 के पृष्ठ 167 से 188 तक क्रमांक 93 पर दिनाँक 22/05/2023 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

अभिषेक कुमार सिंह
उप निबंधक : सदर
मिर्जापुर
22/05/2023

प्रिंट करें

# M.V.M CHARITABLE TRUST

| | |
|---|---|
| Unique Id of VO/NGO | UP/2023/0359333 |
| DARPAN Reg. Date | 13-03-2024 |

## Registration Details

| | |
|---|---|
| Registered With | Registrar of Societies |
| Type of NGO | Trust (Non-Government) |
| Registration No | 93 |
| Copy of Registration Certificate | Available |
| Copy of Pan Card | Available |
| Act name | INDIAN TRUST ACT 1882 |
| City of Registration | MIRZAPUR CITY |
| State of Registration | UTTAR PRADESH |
| Date of Registration (Society / Trust / Entity) | 22-05-2023 |

## Members

| Name | Designation | Pan | Aadhaar |
|---|---|---|---|
| KIRTI MUNDRA | President | Available | Available |
| VIKASH MISHRA | Vice President | Available | Available |
| SUNEETI MISHRA | Treasurer | Available | Available |
| MONIKA SRIVASTAVA | Secretary | Available | Available |

## Sector/ Key Issues

| | |
|---|---|
| Key Issues | Agriculture,Animal Husbandry, Dairying & Fisheries,Art & Culture,Children,Dalit Upliftment,Differently Abled,Disaster Management,Education & Literacy,Environment & Forests,Food Processing,Health & Family Welfare,Human Rights,Labour & Employment,Minority Issues,Rural Development & Poverty Alleviation,Sports,Tribal Affairs,Urban Development & Poverty Alleviation,Vocational Training,Water Resources |
| Operational Area-States | UTTAR PRADESH |
| Operational Area-District | UTTAR PRADESH->Rae Bareli, Prayagraj, Varanasi, Sant Ravidas Nagar (Bhadohi), Mirzapur, Sonbhadra |

## FCRA details

| FCRA Available | FCRA Registration no. |
|---|---|
| Not Available | Not Available |

## Details of Achievements

| |
|---|
| PLANTATION AT DIFFRENT SITES OF CITY FOOD DISTRIBUTION TO POOR COMMUNITIES |

## Source of Funds

| Department Name | Source | Finacial Year | Amount Sanctioned | Purpose |
|---|---|---|---|---|
| Not Specified | Any Other | 2023-2024 | Not Specified | NO GRANTS GOT YET |

## Contact Details

| | |
|---|---|
| Address | H NO 25 MOHALLA BUNDELKHANDI DAKSHIN FATAK |

| | |
|---|---|
| City | MIRZAPUR CITY |
| State | UTTAR PRADESH |
| Telephone | Not Available |
| Mobile No | 9598502732 |
| Website Url | Not Available |
| E-mail | mvmtrust123(at)gmail[dot]com |
| *Last modified on* | 19-09-2023 |

आयकर विभाग
INCOME TAX DEPARTMENT

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
GOVT. OF INDIA

स्थायी लेखा संख्या कार्ड
Permanent Account Number Card

**AAITM7448L**

नाम / Name
**M.V.M CHARITABLE TRUST**

12072023

निगमन / गठन की तारीख
Date of Incorporation / Formation
**20/05/2023**

TS

शेष
BALAN

भारतीय स्टेट बैंक
State Bank Of India

(12731) - MIRZAPUR CITY
PO-MIRZAPUR DISTT-MIRZAPUR
MIRZAPUR 231001
Tel: 5442-222979 Fax: IFS Code: SBIN0012731

केवल 3 महीने के लिए वैध / VALID FOR 3 MONTHS ONLY

D D M M Y Y Y Y

1Uj3Bs

को या उनके आदेश पर OR ORDER

ये RUPEES

अदा करें ₹

42220252999

VALID UP TO ₹50 LACS AT NON-HOME BRANCH FOR NON-CASH TRANSACTION ONLY

99925202224

CURRENT A/C

PREFIX:
1516000004

LTI-CITY CHEQUE Payable at Par at All Branches of SBI

M.V.M CHARITABLE TRUST

Please sign above

⑈772131⑈ 231002032⑆ 000486⑈ 29